

सं. 91/57

अ. व. मा. बा. अ. 249)

संख्या 0914/स.वि.सि.०/सू.०/2005

दिनांक 25/10/2005

उत्तरांचल शासन

वित्त (सा0नि0-वे0आ0) अनुभाग-7

संख्या 0A/XXVII(7)पें0/2005

देहरादून, दिनांक 22 अक्टूबर, 2005

कार्यालय ज्ञाप

Government of Uttaranchal
Finance (G.R.-P.C.) Section -7

NO-0A/XXVII(7)P/2005

Dehradun : Dated : 22 October, 2005

22-10
(डी० के० कोटिया)
सचिव
विद्यालयी शिक्षा एवं सूचना
उत्तरांचल शासन

Office Memorandum

व्य- राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

अधोस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर यह कहने का निदेश है कि वित्त अनुभाग-3 उत्तरांचल शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-174(A)पें/XXVII(3)पें/2005, दिनांक: 11 मई, 2005 द्वारा महंगाई राहत की एक किश्त 01 जनवरी, 2005 से स्वीकृत की गई थी, के क्रम में श्री राज्यपाल ने राज्य सरकार के समस्त सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 1 मई, 2005 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए 01 जुलाई 2005 से महंगाई राहत की एक और किश्त 04 प्रतिशत (चार प्रतिशत) की दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है। तदनुसार दिनांक 01 जुलाई, 2005 से राहत की दर बढ़कर 21 प्रतिशत हो गई है।

2- महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रुपये से गुणांक में आगणित होगी, उसे अगले रुपये में राउण्ड कर दिया जाय।

3- यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक निकाय आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित है।

यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य शिक्षा से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शोधोत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्व है पर भी लागू होंगे।

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए- 1-252/दस/10(3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान के अन्तर्गत महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

Subject : Grant of Dearness Relief to state Government Civil/Family Pensioners.

The Undersigned is directed to refer to the office memo No- 174(A)/XXVII(3)P/2005, date 11 May, 2005 on the subject mentioned above sanctioning an installment of Dearness Relief with effect from 01 Jan, 2005 and to say that the Governor is pleased to revive the rates of dearness relief admissible to all civil/family pensioners of this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average consumption price index 306.66 (as on 01.01.1996) at the rate of 4% (Four Percent) with effect from 01 July 2005 in super session of the rates mentioned in the O.M. dated: 11 May, 2005 referred to above accordingly the rate of dearness of pension/family pension w.e.f. 01-07-2005 has risen to 21%.

2- Payment of dearness relief involving a fraction of a rupee shall be rounded, off to next high rupee.

3- These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of Uttaranchal Public Service Commission, employees of local bodies and Public undertaking/corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.

4- These order will also be applicable to sub-teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from state under the educational Technical Education Department who Pension/Family pension is at par with the pensioners of the state Government.

5- As per orders issued in O.M. No. A-1-252/10(3)-81, dated: April 27, 1982 the Accounts General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, dearness relief as admissible under, this O.M. shall be made by the paying authorities/ Public Sector Banks.

OS/SPO

SPO

6- महंगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

6- Others terms and conditions regarding dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual.

इन्दु कुमार पाण्डे
प्रमुख सचिव

Indu Kumar
Principal Sec

संख्या 9 A /XXVII(7)P/2005, तददिनांक

No. 9 A /XXVII(7)P/2005, the date

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


Copy forwarded to following for information necessary action.


- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
- 2- समस्त जिलाधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
- 3- क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल।
- 4- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, उत्तरांचल।

- 1- All Principal Secretaries/Secretaries.
- 2- All Head of Department/Offices, Uttaranchal.
- 3- Regional Additional Director Treasury Pension Garhwal/ Kumaon Division.
- 4- Director, Treasury and Finance serv Uttaranchal.
- 5- Accountant General Uttaranchal, Old Building, Saharanpur Road, Majra, Dehr along with 50 extra copies with the request account officers of other states be also info please.
- 6- All Treasury Officers, Uttaranchal.
- 7- Deputy Director, Govt. Press, Roorkee request that 500 copies of this G.O. be got and sent to the Govt. please.
- 8- Director, N.I.C., Dehradun.

5- महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबेराय भवन, सहारनपुर रोड़, भाजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियां इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इसकी प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

- 6- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
- 7- उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 500 प्रतियां मुद्रित कराकर वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 8- निदेशक, एन0 आई0 सी0, देहरादून।

आज्ञा से,

(टी0 एन0 सिंह)
अपर सचिव

By Order,

(T.N. Singh)
Addl. Secretary